UPBJ180088402022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–1, नगीना, बिजनौर।

उपस्थितः– महिमा सिंह (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)।

परिवाद सं0 4538/2022

अफसाना बनाम नईमुद्दीन आदि।

15–03–2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादनी अनुपस्थित है। परिवादनी की ओर से कोई स्थगन/हाजिरी माफी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 नियत चल रही है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादनी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादनी को अपना परिवाद चलाने में कोई रूचि नहीं है एवं परिवादनी को धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराना है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में परिवादी का साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 का अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस तलबी/आदेश लन्च बाद पुनः पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1, नगीना, बिजनौर।

लन्च बाद

पत्रावली लन्च बाद पुनः प्रस्तुत हुई। पुकार पर परिवादनी अनुपस्थित है। पत्रावली वास्ते बहस/आदेश नियत है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि परिवादनी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादनी को परिवाद चलाने में कोई रूचि नहीं है। परिवादनी द्वारा धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं के बयान अंकित कराये गये हैं, उसके बाद परिवादनी की ओर से धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। केवल परिवाद–पत्र के अभिकथनों एवं परिवादनी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के आधार पर विपक्षीगण को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार परिवाद धारा 203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–1, नगीना, बिजनौर।

Digitally signed by MAHIMA SINGH
Date: 2023.03.15 16:41:51 IST
Reason: Order
Location: Judicial Magistrate, Court no.-1, Nagina, Bijnor